

भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *128
(29 जुलाई, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

दीनदयाल उपाध्याय-ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) के उद्देश्य

***128. सुश्री कंगना रनौत:**

श्री अनुराग शर्मा:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दीनदयाल उपाध्याय-ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) के लक्षित समूह और प्रशिक्षण क्षेत्रों सहित इसकी मुख्य विशेषताएं और उद्देश्य क्या-क्या हैं।

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान इस योजना के अंतर्गत कितने अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित, मूल्यांकित और नियमित वेतन वाले कार्यों में नियोजित किया गया तथा सरकार द्वारा राज्य-वार और जिला-वार की गई कैप्टिव रोजगार पहल का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा सामाजिक समावेशन और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों और महिलाओं जैसे सामाजिक रूप से वंचित समूहों तक इस योजना की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का उत्तर प्रदेश के झांसी जिले सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास मंत्री
(श्री शिवराज सिंह चौहान)

(क) दीन दयाल उपाध्याय-ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) 15-35 वर्ष आयु वर्ग के ग्रामीण गरीब युवाओं के लिए नियोजन से जुड़ा कौशल विकास कार्यक्रम है। यह ग्रामीण गरीब युवाओं को रोजगार योग्य कौशल प्रदान कर उन्हें सशक्त बनाता है तथा नियमित श्रम बाजारों में उनकी भागीदारी को सुगम बनाता है, जिससे उन्हें न्यूनतम मजदूरी के बराबर या उससे अधिक मासिक मजदूरी वाले रोजगार उपलब्ध होते हैं। डीडीयू-जीकेवाई 37 क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान करता है। इन क्षेत्रों का विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ख) दीन दयाल उपाध्याय-ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) के तहत पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान प्रशिक्षित, मूल्यांकित और नियमित वेतन वाली नौकरियों में नियुक्त किए गए अभ्यर्थियों का विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है।

मंत्रालय द्वारा कैप्टिव रोजगार पहल मार्च, 2023 में शुरू की गई थी। हालाँकि, इस पहल के तहत प्रशिक्षण गतिविधियाँ संबंधित राज्य सरकारों द्वारा परियोजनाओं के अनुमोदन के बाद वर्ष 2025 में ही शुरू हुईं। कैप्टिव रोजगार के अंतर्गत राज्य-वार उपलब्धियां **अनुबंध-III** में दी गई हैं।

(ग) डीडीयू-जीकेवाई दिशानिर्देश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (50%), महिलाओं (33%), और दिव्यांगजनों (5%) को सामाजिक समावेशन प्रदान करता है। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित

जनजातियों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं जैसे सामाजिक रूप से वंचित समूहों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार प्रगति/विवरण क्रमशः **अनुबंध-IV, V, VI और VII** में दिए गए हैं।

लोक सभा में दिनांक 29.07.2025 को उत्तर दिये जाने के लिए नियत तारांकित प्रश्न संख्या 128 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध ।

डीडीयू-जीकेवाई के अंतर्गत प्रशिक्षण क्षेत्रों की सूची:

क्र. सं.	क्षेत्रों
1	एयरोस्पेस और विमानन
2	कृषि
3	परिधान, मेडअप और घरेलू सामान
4	ऑटोमोटिव
5	सौंदर्य और सेहत
6	बीईएसटी
7	कैपिटल गुड्स
8	निर्माण
9	घरेलू श्रमिक
10	इलेक्ट्रॉनिक्स
11	खाद्य प्रसंस्करण
12	फर्नीचर और फिटिंग
13	रत्न एवं आभूषण
14	हरित नौकरियां
15	हस्तशिल्प और कालीन
16	स्वास्थ्य देखभाल
17	हाइड्रोकार्बन
18	अवसंरचना उपकरण
19	यंत्र उपकरण (इंस्ट्रुमेंटेशन)
20	लोहा और इस्पात
21	आईटी आईटीईएस
22	चमड़ा
23	जीवन विज्ञान

24	रसद
25	प्रबंधन, उद्यमिता और व्यावसायिक कौशल
26	मीडिया और मनोरंजन
27	खनन
28	पेंट और कोटिंग्स
29	नल पाइप का कार्य
30	विद्युत
31	लोक निर्माण विभाग
32	खुदरा व्यापार
33	रबड़
34	खेल, शारीरिक शिक्षा, फिटनेस और अवकाश
35	दूरसंचार
36	वस्त्र
37	पर्यटन और आतिथ्य

अनुबंध- II

लोक सभा में दिनांक 29.07.2025 को उत्तर दिये जाने के लिए नियत तारांकित प्रश्न संख्या 128 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध II

डीडीयू-जीकेवाई के तहत पिछले 5 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान प्रशिक्षित, मूल्यांकित और नियोजित अभ्यर्थी:

क्र. सं.	राज्य	2020-21			2021-22			2022-23			2023-24			2024-25			2025-26 (जून तक)		
		प्रशिक्षित	मूल्यांकित	नियोजित	प्रशिक्षित	मूल्यांकित	नियोजित	प्रशिक्षित	मूल्यांकित	नियोजित	प्रशिक्षित	मूल्यांकित	नियोजित	प्रशिक्षित	मूल्यांकित	नियोजित	प्रशिक्षित	मूल्यांकित	नियोजित
1	आंध्र प्रदेश	4156	2264	2177	1606	5635	2135	18616	2438	17070	19829	36142	18045	10328	6450	9033	391	30	0
2	अरुणाचल प्रदेश	28	28	33	233	223	71	608	611	295	678	783	315	684	561	265	0	0	29
3	असम	1966	799	3296	3553	4526	916	12532	10071	6817	10615	9600	8571	5231	4893	4127	883	634	44
4	बिहार	2687	1563	2745	7099	7323	2491	11516	10446	9005	6733	6832	7226	1709	1551	1885	0	0	48
5	छत्तीसगढ़	1109	415	3683	6499	5790	2883	9742	8527	8484	3045	3007	3958	1170	887	1759	166	146	55
6	गुजरात	240	144	875	830	1100	599	2912	2388	1450	3960	3366	2729	3544	2914	2584	733	349	216
7	हरियाणा	26	26	1213	1772	2142	680	5554	5110	2685	8478	7469	4882	4492	3887	3700	441	376	198
8	हिमाचल प्रदेश	0	0	117	334	625	10	3967	3815	2175	4324	3720	3187	3084	2833	2273	773	381	399
9	जम्मू और कश्मीर	3454	612	1945	2300	4067	1102	5459	3529	2754	1177	1270	1245	1767	793	636	294	185	102
10	झारखंड	1050	307	1879	4035	4274	1354	10228	9229	7343	11340	10863	8157	6607	5490	4911	1427	1078	228
11	कर्नाटक	769	455	1649	1442	2049	673	3757	2974	2813	3795	2457	2656	1797	1199	1914	130	116	277
12	केरल	3053	1545	2931	3219	2303	1097	8623	7457	5224	5212	4836	4078	3052	2746	2572	340	248	215
13	मध्य प्रदेश	903	120	969	6825	8357	3977	15653	12086	11287	12107	12093	10538	5097	4939	4756	1421	761	408
14	महाराष्ट्र	874	373	3319	348	1038	1612	7830	3411	4020	6381	5942	4614	7761	8487	4347	921	335	61
15	मणिपुर	338	135	387	811	739	139	1921	2034	1266	782	490	854	263	352	356	741	746	49
16	मेघालय	83	54	158	456	846	241	2165	1745	1353	1630	1572	1352	1642	1400	761	292	264	173
17	मिजोरम	37	35	88	105	201	94	344	269	349	725	735	499	723	647	474	199	0	70
18	नागालैंड	221	206	278	1009	1255	614	2371	1830	1409	1714	1804	1592	804	779	570	138	161	113
19	ओडिशा	7978	5799	7729	10474	13447	4828	16778	14202	13248	3997	3220	5330	947	707	1095	385	672	2
20	पंजाब	2922	1563	1931	6976	5663	4188	8121	8912	7020	11803	10478	8805	1979	2440	3560	2830	1284	224
21	राजस्थान	981	626	1759	3096	4665	3130	6092	6775	6209	7233	7295	4218	5376	5065	4532	540	398	258
22	सिक्किम	0	0	43	90	88	0	859	741	384	1123	969	720	255	248	393	0	11	0
23	तमिलनाडु	213	100	1286	8228	8527	2941	15225	14370	10648	13411	12709	10206	5274	4538	4803	750	400	94
24	तेलंगाना	2752	1085	1436	3177	4589	2494	7094	1906	4564	92	973	230	2560	1925	1271	708	63	144
25	त्रिपुरा	21	0	609	1049	848	193	2244	2013	1189	2126	1902	1336	913	643	694	60	107	28
26	उत्तर प्रदेश	1540	524	4068	16898	20489	3765	36567	30662	21921	45215	39060	33458	18080	15237	16245	1366	1291	585
27	उत्तराखंड	367	195	416	3645	4482	917	8248	7058	4409	6026	5598	5306	1894	1659	2821	222	304	109
28	पश्चिम बंगाल	521	448	2544	732	1401	2424	9596	6251	4774	4979	5110	5979	3172	3126	1969	451	239	125
29	पुदुचेरी *	0	0	0	165	323	44	844	780	343	956	1148	919	436	328	444	30	30	3
30	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह*	-	-	-	0	0	0	133	154	38	547	510	225	242	197	196	34	33	0
कुल		38289	19421	49563	97006	117015	45612	235599	181794	160546	200033	201953	161230	100883	86921	84946	16666	10642	4257

टिप्पणियाँ:

(i) - यह दर्शाता है कि यह कार्यक्रम उस वर्ष शुरू नहीं किया गया था

(ii) * यह दर्शाता है कि प्रशिक्षण 2020-21 में पुदुचेरी में और 2021-22 में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में शुरू किया गया था, लेकिन उस वर्ष के दौरान पूरा नहीं हुआ।

(iii) कुछ राज्यों में कुछ वर्षों में, उसी वर्ष के दौरान प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की तुलना में अधिक अभ्यर्थियों को नियोजित किया गया, क्योंकि पिछले वर्ष(वर्षों) के दौरान प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को भी नियोजित किया गया था।

लोक सभा में दिनांक 29.07.2025 को उत्तर दिये जाने के लिए नियत तारांकित प्रश्न संख्या 128 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध III

डीडीयू-जीकेवाई के अंतर्गत कैप्टिव रोजगार का राज्य-वार विवरण:

क्र. सं.	राज्य का नाम	प्रशिक्षित	मूल्यांकित	नियुक्त किए गए	नियोजित
1	असम	174	174	88	0
2	झारखंड	370	370	260	41
3	मध्य प्रदेश	48	48	0	0
4	ओडिशा	120	120	0	0
5	राजस्थान	243	243	177	0
6	तमिलनाडु	50	50	50	0
	कुल	1005	1005	575	41

लोक सभा में दिनांक 29.07.2025 को उत्तर दिये जाने के लिए नियत तारांकित प्रश्न संख्या 128 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध IV

डीडीयू-जीकेवाई के तहत पिछले 5 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान प्रशिक्षित और नियोजित अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण:

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2020-21		2021-22		2022-23		2023-24		2024-25		2025-26 (जून तक)	
		प्रशिक्षित अ. जा.	नियोजित अ. जा.	प्रशिक्षित अ. जा.	नियोजित अ. जा.	प्रशिक्षित अ. जा.	नियोजित अ. जा.	प्रशिक्षित अ. जा.	नियोजित अ. जा.	प्रशिक्षित अ. जा.	नियोजित अ. जा.	प्रशिक्षित अ. जा.	नियोजित अ. जा.
1	आंध्र प्रदेश	1264	666	494	751	5994	5481	6830	6196	3646	3325	113	0
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	2	0	2	0	2	2	1	0	0	0
3	असम	121	212	145	44	602	312	531	475	347	211	48	3
4	बिहार	862	890	2528	733	3908	2934	2204	2263	574	635	0	10
5	छत्तीसगढ़	127	522	1286	610	1969	1733	539	692	187	365	40	0
6	गुजरात	21	189	206	151	538	251	717	454	676	493	64	39
7	हरियाणा	10	814	1007	354	3492	1618	5105	2993	2888	2301	309	130
8	हिमाचल प्रदेश	0	36	144	10	2000	1015	1742	1462	858	737	264	163
9	जम्मू और कश्मीर	188	176	129	43	471	179	83	94	115	38	7	2
10	झारखंड	169	354	1009	301	2437	1721	2198	1596	1428	1028	332	58
11	कर्नाटक	288	600	625	220	1228	930	1186	812	738	649	50	126
12	केरल	845	647	781	304	2315	1321	1048	952	796	562	114	75
13	मध्य प्रदेश	296	315	2134	1146	4891	3248	3873	3479	1740	1456	386	118
14	महाराष्ट्र	285	1230	79	455	2636	1375	1880	1455	2485	1351	284	21
15	मणिपुर	23	31	41	5	112	88	35	50	16	21	48	3
16	मेघालय	0	0	5	0	10	8	2	4	3	2	0	0
17	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	2	0	7	3	0	2
18	नागालैंड	0	0	3	0	10	2	10	5	2	3	0	0
19	ओडिशा	2070	2064	2862	1174	4115	2982	987	1387	186	202	106	0
20	पंजाब	1840	1071	4732	2785	4832	4410	6905	5307	1173	2072	1539	132
21	राजस्थान	296	566	1107	993	1881	1907	2234	1405	1749	1347	166	103
22	सिक्किम	0	1	4	0	54	25	60	47	12	20	0	0
23	तमिलनाडु	111	657	4529	1486	9649	6184	8908	6476	3520	3033	454	52
24	तेलंगाना	960	515	1397	983	2720	1730	38	87	951	424	319	41
25	त्रिपुरा	0	80	130	21	217	119	285	197	135	106	12	3
26	उत्तर प्रदेश	730	1713	7991	1807	15578	9150	20515	14717	9005	7746	745	295
27	उत्तराखंड	177	219	2079	578	4517	2373	2254	2513	575	1011	75	31
28	पश्चिम बंगाल	154	1152	368	1113	3292	1739	1620	2083	1129	742	209	46
29	पुदुचेरी *	0	0	100	25	430	164	573	554	265	273	9	3
30	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह*	-	-	-	-	0	0	2	2	0	0	0	0
कुल		10837	14720	35917	16092	79900	52999	72368	57759	35207	30156	5693	1456

टिप्पणियाँ:

(i) - यह दर्शाता है कि यह कार्यक्रम उस वर्ष शुरू नहीं किया गया था

(ii) * यह दर्शाता है कि प्रशिक्षण 2020-21 में पुदुचेरी में और 2021-22 में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में शुरू किया गया था, लेकिन उस वर्ष के दौरान पूरा नहीं हुआ।

(iii) कुछ राज्यों में कुछ वर्षों में, उसी वर्ष के दौरान प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की तुलना में अधिक अभ्यर्थियों को नियोजित किया गया, क्योंकि पिछले वर्ष (वर्षों) के दौरान प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को भी नियोजित किया गया था।

लोक सभा में दिनांक 29.07.2025 को उत्तर दिये जाने के लिए नियत तारांकित प्रश्न संख्या 128 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध V

डीडीयू-जीकेवाई के तहत पिछले 5 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान प्रशिक्षित और नियोजित अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण:

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2020-21		2021-22		2022-23		2023-24		2024-25		2025-26 (जून तक)	
		प्रशिक्षित अ. ज. जा.	नियोजित अ. ज. जा.	प्रशिक्षित अ. ज. जा.	नियोजित अ. ज. जा.	प्रशिक्षित अ. ज. जा.	नियोजित अ. ज. जा.	प्रशिक्षित अ. ज. जा.	नियोजित अ. ज. जा.	प्रशिक्षित अ. ज. जा.	नियोजित अ. ज. जा.	प्रशिक्षित अ. ज. जा.	नियोजित अ. ज. जा.
1	आंध्र प्रदेश	454	222	142	173	2082	1588	2268	1975	1433	1279	27	0
2	अरुणाचल प्रदेश	28	33	347	72	606	295	675	313	683	264	0	29
3	असम	259	640	552	87	1823	989	1508	1343	671	640	177	5
4	बिहार	108	153	461	98	845	564	515	562	78	107	0	2
5	छत्तीसगढ़	573	1349	2816	1245	4656	3894	1556	1800	652	757	75	52
6	गुजरात	142	439	346	260	1173	673	1878	1164	1957	1174	322	126
7	हरियाणा	0	4	1	1	6	0	17	8	2	7	0	0
8	हिमाचल प्रदेश	0	5	5	0	325	125	358	274	224	154	85	18
9	जम्मू और कश्मीर	182	125	52	49	146	78	25	51	55	5	16	1
10	झारखंड	510	863	2092	667	4887	3401	4748	3526	3096	2144	649	102
11	कर्नाटक	105	197	257	83	526	390	510	363	243	253	10	29
12	केरल	232	159	291	63	603	342	375	222	199	169	22	13
13	मध्य प्रदेश	274	320	2792	1338	5286	3886	4646	3396	1711	1799	613	147
14	महाराष्ट्र	222	811	156	420	2055	1091	1793	1294	2090	1063	333	23
15	मणिपुर	138	103	304	38	553	390	285	291	125	77	207	28
16	मेघालय	71	140	449	188	1866	1218	1384	1122	1448	711	209	140
17	मिजोरम	37	88	164	95	344	349	721	498	692	458	198	68
18	नागालैंड	221	278	1100	623	2351	1401	1703	1586	802	567	138	113
19	ओडिशा	2718	3020	4963	2297	6035	5340	1800	1948	481	590	84	2
20	पंजाब	18	1	12	9	11	10	13	7	8	8	12	1
21	राजस्थान	224	432	555	512	1609	1673	2029	1124	1921	1785	184	43
22	सिक्किम	0	11	44	10	170	79	218	129	60	80	0	0
23	तमिलनाडु	12	47	211	94	458	291	453	296	135	129	16	2
24	तेलंगाना	424	176	482	342	1139	670	9	40	451	181	262	38
25	त्रिपुरा	19	238	464	72	972	493	654	476	342	246	38	7
26	उत्तर प्रदेश	41	31	302	68	539	364	480	401	212	143	21	7

27	उत्तराखंड	69	61	580	118	894	556	436	501	133	296	40	4
28	पश्चिम बंगाल	94	190	106	392	1829	1006	1095	1092	767	451	85	37
29	पुदुचेरी *	0	0	3	0	6	4	3	4	2	1	0	0
30	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह*	-	-	0	0	15	2	72	37	52	58	11	0
कुल		7175	10136	20049	9414	43810	31162	32227	25843	20725	15596	3834	1037

टिप्पणियाँ:

(i) - यह दर्शाता है कि यह कार्यक्रम उस वर्ष शुरू नहीं किया गया था

(ii) * यह दर्शाता है कि प्रशिक्षण 2020-21 में पुदुचेरी में और 2021-22 में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में शुरू किया गया था, लेकिन उस वर्ष के दौरान पूरा नहीं हुआ।

(iii) कुछ राज्यों में कुछ वर्षों में, उसी वर्ष के दौरान प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की तुलना में अधिक अभ्यर्थियों को नियोजित किया गया, क्योंकि पिछले वर्ष(वर्षों) के दौरान प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को भी नियोजित किया गया था।

लोक सभा में दिनांक 29.07.2025 को उत्तर दिये जाने के लिए नियत तारांकित प्रश्न संख्या 128 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध VI

डीडीयू-जीकेवाई के तहत पिछले 5 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान प्रशिक्षित और नियोजित अल्पसंख्यक अभ्यर्थियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण:

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2020-21		2021-22		2022-23		2023-24		2024-25		2025-26 (जून तक)	
		अल्पसंख्यक प्रशिक्षित	अल्पसंख्यक नियोजित	अल्पसंख्यक प्रशिक्षित	अल्पसंख्यक नियोजित	अल्पसंख्यक प्रशिक्षित	अल्पसंख्यक नियोजित	अल्पसंख्यक प्रशिक्षित	अल्पसंख्यक नियोजित	अल्पसंख्यक प्रशिक्षित	अल्पसंख्यक नियोजित	अल्पसंख्यक प्रशिक्षित	अल्पसंख्यक नियोजित
1	आंध्र प्रदेश	253	146	80	81	8699	8593	1506	2877	193	174	11	0
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	90	19	278	110	145	128	179	37	0	14
3	असम	493	516	965	189	3436	1942	2488	1936	1443	944	326	2
4	बिहार	268	188	816	233	1508	876	1102	939	358	307	0	19
5	छत्तीसगढ़	20	12	177	71	413	270	91	158	52	65	16	0
6	गुजरात	33	48	40	40	162	82	308	179	300	172	73	27
7	हरियाणा	8	7	202	80	506	269	978	596	679	382	59	27
8	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	38	16	91	59	34	32	10	5
9	जम्मू और कश्मीर	1678	548	1132	599	2650	1455	533	525	1036	394	178	61
10	झारखंड	239	144	491	154	1329	884	1429	1012	828	625	195	33
11	कर्नाटक	59	211	211	94	371	283	348	229	160	168	17	11
12	केरल	1624	1603	1807	667	4361	2772	2397	1909	1464	1318	171	76
13	मध्य प्रदेश	27	7	133	71	535	299	700	434	300	273	133	18
14	महाराष्ट्र	183	618	59	320	1324	872	1053	776	1340	714	258	13
15	मणिपुर	124	101	394	35	558	442	276	238	56	98	284	15
16	मेघालय	56	124	225	172	1467	950	1277	940	1277	591	115	103
17	मिजोरम	37	80	104	95	284	297	636	374	607	415	196	64
18	नागालैंड	221	26	944	430	2025	1328	1613	1398	754	500	138	113
19	ओडिशा	263	216	634	192	711	736	109	182	90	57	5	0
20	पंजाब	1725	842	4473	2719	5306	4754	7035	5431	1209	2045	1952	142
21	राजस्थान	80	106	179	297	517	442	503	271	556	431	54	24
22	सिक्किम	0	17	1	1	141	41	214	130	46	81	0	0
23	तमिलनाडु	22	83	699	255	1803	1074	1972	1369	1182	924	194	23
24	तेलंगाना	153	49	259	135	368	269	0	6	126	32	135	8
25	त्रिपुरा	10	49	158	25	301	151	235	153	120	91	3	6
26	उत्तर प्रदेश	164	390	1375	367	3654	1715	7124	4276	4002	3013	189	108
27	उत्तराखंड	35	63	152	32	1125	330	1009	1001	156	311	10	4
28	पश्चिम बंगाल	70	426	240	613	1631	705	1022	1267	661	389	93	33
29	पुदुचेरी *	0	0	4	3	47	16	185	110	38	57	6	0

30	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह*	-	-	0	0	39	11	162	73	110	91	17	0
कुल		7845	6620	16044	7989	45587	31984	36541	28976	19356	14731	4838	949

टिप्पणियाँ:

- (i) - यह दर्शाता है कि यह कार्यक्रम उस वर्ष शुरू नहीं किया गया था
- (ii) * यह दर्शाता है कि प्रशिक्षण 2020-21 में पुदुचेरी में और 2021-22 में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में शुरू किया गया था, लेकिन उस वर्ष के दौरान पूरा नहीं हुआ।
- (iii) कुछ राज्यों में कुछ वर्षों में, उसी वर्ष के दौरान प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की तुलना में अधिक अभ्यर्थियों को नियोजित किया गया, क्योंकि पिछले वर्ष(वर्षों) के दौरान प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को भी नियोजित किया गया था।

लोक सभा में दिनांक 29.07.2025 को उत्तर दिये जाने के लिए नियत तारांकित प्रश्न संख्या 128 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध VII

डीडीयू-जीकेवाई के तहत पिछले 5 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान प्रशिक्षित और नियोजित महिला अभ्यर्थियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण:

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2020-21		2021-22		2022-23		2023-24		2024-25		2025-26 (जून तक)	
		प्रशिक्षित महिलाएं	नियोजित महिलाएं	प्रशिक्षित महिलाएं	नियोजित महिलाएं	प्रशिक्षित महिलाएं	नियोजित महिलाएं	प्रशिक्षित महिलाएं	नियोजित महिलाएं	प्रशिक्षित महिलाएं	नियोजित महिलाएं	प्रशिक्षित महिलाएं	नियोजित महिलाएं
1	आंध्र प्रदेश	1542	605	565	924	8276	7417	9892	9289	5353	4649	159	0
2	अरुणाचल प्रदेश	20	20	227	68	406	196	418	181	439	183	0	17
3	असम	1494	1798	2666	681	8896	4880	8794	6494	4363	3472	725	10
4	बिहार	1402	1304	4021	1225	6752	5260	4265	4245	1277	1314	0	39
5	छत्तीसगढ़	608	1007	4505	1920	6698	5756	2154	2731	1152	1354	136	55
6	गुजरात	172	400	454	289	1713	877	2670	1687	2596	1715	513	176
7	हरियाणा	6	386	1019	411	2692	1538	4543	2815	2368	1925	204	110
8	हिमाचल प्रदेश	0	62	161	6	2445	1337	2769	1996	2214	1457	453	310
9	जम्मू और कश्मीर	1338	821	1091	481	2968	1323	598	626	880	274	151	76
10	झारखंड	693	1109	3624	1055	8477	5856	8245	6350	4658	3718	1030	125
11	कर्नाटक	523	643	988	261	1977	1374	2222	1682	885	954	60	237
12	केरल	1530	1323	1555	589	4334	2555	2534	2150	1491	1269	153	113
13	मध्य प्रदेश	599	535	4556	2664	9767	7141	7671	6558	3724	3020	1044	314
14	महाराष्ट्र	511	1273	204	911	4625	2616	3712	2424	4622	2486	636	56
15	मणिपुर	175	192	595	77	1155	810	358	421	151	240	626	44
16	मेघालय	38	62	254	168	1262	903	1311	1014	1154	605	165	141
17	मिजोरम	22	43	116	44	203	228	427	301	465	268	123	48
18	नागालैंड	102	100	477	185	1223	680	937	852	366	253	79	68
19	ओडिशा	4855	5165	7856	3902	11312	9992	3117	3696	798	911	385	2
20	पंजाब	1358	601	3601	2377	4572	3811	7159	5368	1312	2095	1932	99
21	राजस्थान	520	734	1853	1455	3443	3707	5148	2773	4140	3626	437	212
22	सिक्किम	0	43	30	7	468	183	694	455	187	238	0	0
23	तमिलनाडु	133	612	4772	1691	8675	5942	8248	6267	3197	2958	469	74
24	तेलंगाना	828	996	1635	835	3157	2109	64	106	881	316	466	21

25	त्रिपुरा	11	345	400	81	980	554	939	555	292	296	29	10
26	उत्तर प्रदेश	870	1330	8565	2107	19539	11536	26589	19173	11539	9897	1154	364
27	उत्तराखंड	104	269	2336	624	5220	3035	3770	3518	1255	1711	188	70
28	पश्चिम बंगाल	231	862	230	966	3575	1608	2376	2663	1698	968	367	60
29	पुदुचेरी *	0	0	87	36	647	257	612	595	280	288	13	2
30	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह*	-	-	0	0	7	3	339	154	83	69	3	0
कुल		19685	22640	58443	26040	135464	93484	122575	97139	63820	52529	11700	2853

टिप्पणियाँ:

(i) - यह दर्शाता है कि यह कार्यक्रम उस वर्ष शुरू नहीं किया गया था

(ii) * यह दर्शाता है कि प्रशिक्षण 2020-21 में पुदुचेरी में और 2021-22 में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में शुरू किया गया था, लेकिन उस वर्ष के दौरान पूरा नहीं हुआ।

(iii) कुछ राज्यों में कुछ वर्षों में, उसी वर्ष के दौरान प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की तुलना में अधिक अभ्यर्थियों को नियोजित किया गया, क्योंकि पिछले वर्ष (वर्षों) के दौरान प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को भी नियोजित किया गया था।